

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम1/14

नई दिल्ली, दिनांक 24.07.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां ,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: 10% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा के अंतर्गत सीसीटीएस के पद को भरने के लिए अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण

वेतन स्तर-6 में वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट पर्यवेक्षक (सीसीटीएस) के पद पर सीधी भर्ती, पदोन्नति और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) कोटे के लिए विभिन्न प्रतिशत अंश निर्धारित करने के लिए आरबीई 85/2023 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे। हालांकि, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विस्तृत करने की आवश्यकता थी क्योंकि वाणिज्यिक और टिकट जांच संवर्गों की अनेक पूर्ववर्ती श्रेणियों, जिनके संबंधित संवर्गों में वेतन स्तर-6 (ग्रेड पे 4200) रिक्तियों को भरने के भिन्न तरीके थे का अब वेतन स्तर-6 पद में वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट पर्यवेक्षक में विलय कर दिया गया है।

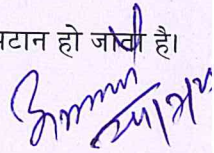
2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया कि वाणिज्यिक विभाग के सभी कर्मचारी (लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर) जो विलयित वरिष्ठता समूहों (वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट पर्यवेक्षक और वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट पर्यवेक्षक) के वेतन स्तर-3 से वेतन स्तर-5 तक कार्यरत हैं और इन वेतन स्तरों को मिलाकर न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में स्नातक या समकक्ष हो और 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हो, वे 10% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटे के तहत वेतन स्तर-6 में वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट पर्यवेक्षक रिक्तियों को भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। निचले वेतन स्तरों को मिलाकर 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि को ऐसे चयन के लिए पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि माना जाएगा।

3. जिन कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार या उसके बाद इन श्रेणियों के विलय के समय वाणिज्य विभाग के पूर्ववर्ती वाणिज्यिक और टिकट जांच संवर्गों के अलग-अलग वरिष्ठता समूह का विकल्प चुना था और जिनके वेतन स्तर-6 के लिए उनके अलग वरिष्ठता समूह में पदोन्नति का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, वे भी वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट पर्यवेक्षक पदों में इस 10% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटे के लिए पात्र होंगे। हालांकि, यदि वेतन स्तर-6 में ऐसे अलग वरिष्ठता समूह उपलब्ध हैं (जैसे, वाणिज्य अधीक्षक (माल, पार्सल और बुकिंग), आरक्षण पर्यवेक्षक और मुख्य टिकट निरीक्षक आदि), तो अलग वरिष्ठता समूहों वाले ऐसे कर्मचारी अपने अलग वरिष्ठता समूह में ही आगे पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे।

4. हालांकि, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के मौजूदा नियम (भारतीय रेल स्थापना नियमावली-I का पैरा-219(जे)) मेरिट के आधार पर पैनल के गठन और गैर-संरक्षा पदों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रियायत मानकों के साथ लागू रहेंगे।

कृपया पावती दें।

इससे दक्षिण रेलवे के दिनांक 19.03.2025 के पत्र सं पी(एस)535/III/सीओएमएमएल/पॉलिसी का निपटान हो जा रहा है।



(अजय गोयल)

उप निदेशक-III/ई(एनजी)।

रेलवे बोर्ड

ई-मेल: ajay.2097123@gov.in

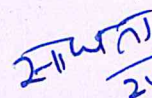
फ़ोन नं: 47224/011-23047224

सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम1/14

नई दिल्ली, दिनांक 24.07.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।


24.7.25

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड